

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 17.09.2022 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. रवि कुमार पुत्र रामचन्द्र निः 0 खलासपुर थाना राजपुर कानपुर देहात 2. सौरभ पुत्र रामप्रकाश निः 0 भुआ थाना एट जनपद जालौन 3. अजीत पुत्र गया प्रसाद निः 0 नवीपुर थाना अकबरपुर कानपुर देहात 4. जगदीश पुत्र सुरजन निः 0 नवीपुर थाना अकबरपुर कानपुर देहात को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त ऋषभ पुत्र जयहिन्द निः 0 ग्राम डूडादेव थाना गजनेर कानपुर देहात के कब्जे से 41 अदद क्वार्टर ट्रिवन टावर देशी शराब नाजायज बरामद कर गिरफ्तार किया गया अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अजय सिंह पुत्र नथू गिहार निः 0 ग्राम पिलखिनी थाना भोगनीपुर कानपुर देहात के कब्जे से 20 अदद क्वार्टर ट्रिवन टावर देशी शराब नाजायज बरामद कर गिरफ्तार किया गया अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त प्यारेलाल पुत्र महान्त नट निः 0 देवीजी मोहल्ला थाना राजपुर कानपुर देहात के कब्जे से 18 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज बरामद कर गिरफ्तार किया गया अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त छंगा उर्फ विजय सिंह पुत्र स्व० भूलाराम निः 0 भन्देमऊ थाना मंगलपुर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तगण 1. चन्द्रशेखर पुत्र अनन्त प्रसाद निः 0 रविदासपुरम गुजैनी कानपुर नगर 2. ओमप्रकाश पुत्र फूलचन्द्र निः 0 गुजैनी कानपुर नगर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रुरा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अनिल उर्फ ढल्ला पुत्र हीरालाल निः 0 बलेथा थाना रुरा कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 08 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द०प्र०सं० में किया गया। जिसमें थाना शिवली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रुरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151 द०प्र०सं० के अन्तर्गत चालान किया गया।